

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 298)

8 वैशाख 1932 (शO) पटना, बुधवार, 28 अप्रील 2010

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

28 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0-1-17/2010/लेज-147—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मजहर इमाम, सरकार के प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम 20, 2010] बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2010

बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम 13, 2006 का संशोधन हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना:- चूँकि, बिहार राज्य में मत्स्य विकास की अपार संभावना है,

और, चूँिक, राज्य सरकार द्वारा परम्परागत मछुआरों को प्रशिक्षित करते हुए और तकनीकी सहायता देते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं,

और, चूँकि, राज्य सरकार की यह नीति है कि जलकरों की बंदोबस्ती परम्परागत मछुआरों की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ किया जाए ताकि बेहतर प्रबंधन से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हो जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी सहायक हो.

और, चूँकि, यह आवश्यक माना गया है कि प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण मछुआरों के बीच विवाद बढ़े हैं जिससे मत्स्य उत्पादकता एवं मत्स्य उत्पादन कुप्रभावित हुई हैं , भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

- 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ । (i) यह अधिनियम बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय एवं विभिन्न प्रावधानों के प्रवृत्त होने की विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेंगी।
- 2. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा 2 में संशोधन। धारा—2 की उप—धारा (ix) में प्रयुक्त शब्द और अंक ''एवं स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996'' विलोपित किये जाएँगे।
- 3. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा— 5 में संशोधन। धारा—5 की उप—धारा (1) में ''पॉच'' शब्द को ''सात'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 4. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा—14 में संशोधन।—निम्नलिखित संशोधन बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 13, 2006 की धारा—14 में किए जाएँगे:—
 - (i) धारा—14 की उप—धारा (i) में ''निदेशक, मत्स्य'' शब्दों को ''प्रमण्डलीय आयुक्त'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ii) धारा—14 की उप—धारा (iii) में शब्द ''अल्पकालीन बन्दोबस्ती के लिए'' के बाद शब्द ''प्रमण्डलीय आयुक्त एवं'' जोड़े जायेंगे।

28 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0 1-17/2010/लेज-148—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमत बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मजहर इमाम,

सरकार के प्रभारी सचिव।

[Bihar Act 20, 2010] THE BIHAR FISH JALKAR MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2010

An Act

TO AMEND THE BIHAR FISH JALKAR MANAGEMENT ACT, 2006 [Bihar Act 13 of 2006]

Preamble:—WHEREAS, there is immense potential of Fishery development in the State of Bihar,

AND, WHEREAS, the State Government has launched various schemes to augment fishery production by introduction of technology and imparting training to the traditional fisherman,

AND, WHEREAS, the policy of the State Government is to settle sairats comprised of water bodies with traditional Fishermen Co-operative Society for enhanced fish production which will ultimately add to GSDP of the state,

AND, WHEREAS, the increasing number of Fishermen Co-operative Societies in each block is resulting in large number of disputes amongst Fishermen Societies, adversely affecting fish production and productivity in the State,

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty One year of the Republic of India as follows:—

- 1. Short Title, Extent and Commencement.—This Act may be called The Fish Jalkar Management (Amendment) Act, 2010
 - (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (iii) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint, and different dates for coming into force for different provisions of this Act, may be appointed.
- 2. Amendment in Section-2 of Bihar Act, 13, 2006.— In Section 2 (ix), the words and figure "and Bihar Self Supporting Co-operative Societies Act, 1996" shall be deleted.
- 3. Amendment in Section-5 of Bihar Act, 13, 2006.— In sub-section (i) of Section 5, the word "five" shall be substituted by the word "seven".
- 4. Amendment in Section 14 of Bihar Act, 13, 2006.— The following amendments shall be made in Section-14 of the Bihar Fish Jalkar Management Act, 2006:-
 - (1) In sub-section (i) of Section 14, the words "Director, Fisheries "shall be substituted by the words "Divisional Commissioner".
 - (2) In sub-section (iii) of Section 14, after the words "Short term settlement taken by the ", the words "Divisional Commissioner and the" shall be added.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 298-571+400-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in